



# बिहार गजट

## असाधारण अंक

### बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

---

8 आषाढ़ 1939 (श10)  
(सं0 पटना 565) पटना, वृहस्पतिवार, 29 जून 2017

---

वाणिज्य-कर विभाग

अधिसूचना

29 जून 2017

एस० ओ० 107 दिनांक 29 जून 2017—बिहार के राज्यपाल, बिहार माल और सेवा कर अधिनियम 2017 (2017 का बिहार अधिनियम 12) की धारा-1 उप-धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा-6 से 9, धारा-11 से 21, धारा-31 से 41, धारा-42 (धारा-42 की उपधारा (9) के परन्तुक को छोड़ कर), धारा-43 (धारा-43 की उपधारा (9) के परन्तुक को छोड़ कर), धारा-44 से 50, धारा-53 से 138, धारा-140 से 145, धारा-147 से 163 एवं धारा-165 से 174 के प्रावधान प्रवृत्त होने की तिथि दिनांक 01.07.2017 नियत करते हैं।

[(सं०सं०-बिक्री-कर/जी एस टी/विविध-13/2017-2209)]

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

सुजाता चतुर्वेदी,

वाणिज्य-कर आयुक्त-सह-प्रधान सचिव।

29 जून 2017

एस०ओ० 108, एस०ओ० 107 दिनांक 29 जून 2017 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार-राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

[(सं०सं०-बिक्री-कर/जी एस टी/विविध-13/2017-2209)]

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

सुजाता चतुर्वेदी,

वाणिज्य-कर आयुक्त-सह-प्रधान सचिव।

*The 29th June 2017*

S.O. 105 dated 29<sup>th</sup> June 2017— In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 1 of the Bihar Goods and Services Tax Act, 2017 (Bihar Act 12 of 2017), the Governor of Bihar hereby appoints the 1<sup>st</sup> day of July, 2017, as the date on which the provisions of sections 6 to 9, 11 to 21, 31 to 41, 42 except the proviso to sub-section (9) of section 42, 43 except the proviso to sub-section (9) of section 43, 44 to 50, 53 to 138, 140 to 145, 147 to 163, 165 to 174 of the said Act, shall come into force.

[(File No. Bikri-kar/GST/vividh-13/2017-2209)]

By the order of Governor of Bihar,

SUJATA CHATURVEDI,

*Commissioner-cum-Principal Secretary,*

*Commercial Taxes Department.*

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,  
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,  
बिहार गजट (असाधारण) 565-571+10-डी0टी0पी0।  
Website: <http://egazette.bih.nic.in>